न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या 159/2019 निर्णय दिनांक 25-1-19

उनवान

1. श्रीमती फूली देवी पत्नि श्री हरिनारायण शर्मा।
2. रामवतार पुत्र कानाराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी रूपाहेडी मय बापूगांव तहसील कोटखावदा जयपुर।

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चाकसू।

प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद के करवाने बाबत।

प्रार्थीगण ग्राम रूपाहेडी मय बापूगांव तहसील कोटखावदा में खातेदार काश्तकार है जिनके आराजी खसरा नम्बर 1, 1/2220, 2, 3 किता 4 रकबा 2.09 हे0 भूमि वाके ग्राम रूपाहेडी मय बापूगांव तहसील कोटखावदा में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है प्रार्थीगण उक्त खातेदार भूमि की पत्थर गढी करवाने हेतु निवेदन किया गया है , प्रार्थिया द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान पूर्व दिनांक 28.06.2017 को करवा लिया गया है। प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश किये जाने पर गया जो दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 से 4 स्वीकार किया व शेष पेराज न्यायालय से संबंधित बताते हुए पेश किया गया। प्रार्थी वकील को सुना गया व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर ।सरा नम्बर 1, 1/2220, 2, 3 किता 4 रकबा 2.09 हे0 भूमि वाके ग्राम रूपाहेडी मय बापूगांव तहसील कोटखावदा की भूमि पत्थरगढी अप्रार्थीगण व अप्रार्थी एवं पडौसी काश्तकारों की मौजूदगी में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नही हो तथा फसल कटने के बाद पत्थरगढी की जावे। साथ ही उक्त आदेश केवल उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:21:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
(एस0डी0एम0) चाकसू